मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

01 Uploading MK 26/7/21

क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10 भोपाल, दिनांक २६.07.2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में धारा 17-ए जोड़े जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी द्वारा लोक सेवकों (शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी) के विरूद्ध जॉच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु पूर्वानुमति जारी करने की प्रक्रिया।

संदर्भ:-सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2020 एवं पत्र दिनांक 06.01.2021 ।

***

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें।

2. राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित ज्ञापन के कारण ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के अंतर्गत जांच करने के लिए राज्य शासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। संदर्भित ज्ञापन के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि राज्य शासन ने पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी को अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत जांच के लिए अनिवार्यतः पूर्वानुमति प्राप्त करने के कोई निर्देश नहीं दिये हैं। वस्तुतः इस ज्ञापन के माध्यम से ऐसे प्रकरणों, जिनमें कि संबंधित पुलिस अधिकारी/अन्वेषण एजेंसी जांच करने की पूर्वानुमति प्राप्त करना वांछित समझता हो, ऐसी पूर्वानुमति दिये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

निरंतर...2

Joshiji for uploading pl 26/07/2021

3. अतः इस अपनिर्वचन को समाप्त करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10 दिनांक 26/12/2020 एवं दिनांक 06.01.2021 अधिक्रमित किया जाता है। इस विषय पर निर्देश पुनः पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

26/7/2021
(रंजना पाटिल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा: क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10 भोपाल, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल।
3. महानिदेशक, लोकायुक्त संगठन (विशेष पुलिस स्थापना), मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल।
5. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) की ओर विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. रिकार्ड नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/7/2021
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग